

प्रेस नोट थाना झंगहा जनपद गोरखपुर दिनांक 08.09.2022

अवैध नशीले पदार्थ के साथ शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, 17.36 ग्राम नशीली गोली बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के द्वारा मादक पदार्थों के रोकथाम एवं मादक पदार्थों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा गोरखपुर के निर्देशन में थानाध्यक्ष झंगहा की पुलिस टीम द्वारा लालू यादव उर्फ मेण्टल पुत्र कैलाश यादव निवासी चकदेइया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को 17.36 ग्राम अवैध मादक प्रदार्थ (अल्प्रोजोलम) के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना झंगहा पर मु0अ0सं0 357/2022 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत करते हुए अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

लालु यादव उर्फ मेण्टल पुत्र कैलाश यादव निवासी चकदेइया थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 357/2022 धारा 8/21 NDPS ACT थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 574/2016 धारा 376/511 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(1)एससी एसटी एक्ट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
3. मु0अ0सं0 162/2022 धारा 379/411/414 भादवि थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
4. मु0अ0सं0 188/2022 धारा 41/411/414 भादवि थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर
5. मु0अ0सं0 189/2022 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

17.36 ग्राम अवैध मादक प्रदार्थ (अल्प्रोजोलम)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

- 1- उ0नि0 आलोक राय थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 2- उ0नि0 शुभम श्रीवास्तव थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 3- कां0 विकास कुमार थाना झंगहा जनपद गोरखपुर
- 4-कां0 महेन्द्र तिवारी थाना झंगहा जनपद गोरखपुर